राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 12(1)ग्रावि/नरेगा/बेयरफुट/2015/101394 जयपुर, दिनांक 15 SEP 2016

आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर परिपत्र के दिशा–निर्देश 2016–17 के बिन्दु संख्या 2.5.6. के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बेयरफुट तकनीशियन के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर तथा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद नियोजन के संबंध में प्रावधान किया है।

राज्य में जिन बेयरफुट टेक्निशियनों को प्रशिक्षण उपरान्त Agriculture skill sector council for India के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर प्रमाण पत्र दिया गया है। उन प्रमाण पत्र धारक बेयरफुट टेक्निशियनों को कार्य की आवश्यकतानुसार निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार नियोजित किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने के बाद अभ्यार्थियों को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायतों के कलस्टर क्षेत्र के लिए BFT के रूप में 2500 सक्रिय जॉब कार्ड के लिये जॉब आधार पर नियोजित किया जा सकता है। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के एक बार 3 से 5 ग्राम पंचायतों के कलस्टर बनाये जावे तथा उक्त बनाये गये कलस्टरों का एमआईएस पर इन्द्राज किया जावे। इस प्रकार बनाये गये कलस्टरों को परिवर्तित नहीं किया जावे।
2. BFT, JTA /JEN द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य में सहायक के रूप में कार्य करेगा तथा निम्न कार्य सौपा जाएगा।
   i. प्रस्तावित कार्यो की उपयोगिता निर्धारण करना
   ii. तकनीकी सर्वे करना
   iii. सर्वेक्षण करना
   iv. कार्य हेतु लेआउट लगाना
   v. लागत अनुमान तैयार करने एवं आयोजना प्रक्रिया में मदद करना
   vi. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत कार्यो का निष्पादन करने में मेट/कारीगर का मार्गदर्शन करना
   vii. किये गये कार्य के कार्यस्थल पर जाकर वास्तविक माप लेना इत्यादि
   viii. कार्यस्थल व्यवस्थायें एवं सुविधायें सुनिश्चित कराना।
   ix. 5–5 के समूहों में कार्य कराना व मेट को समूहों में नाप कराना तथा तदनुसार भुगतान की कार्यवाही करना
3. BFT का कार्य क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि वह एक ही JTA/JEN के निर्देशों के तहत कार्य करे।